संख्या–2–ई.एम./2009–का–4–2012

प्रेषक,

जावेद उस्मानी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग–4 लखनऊ : : दिनॉक : 24 मई, 2012

विषय : सेवा संवर्गो की समस्याओं के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन के संज्ञान में लाया गया है कि उपर्युक्त विषयक, समसंख्यक शासनादेश दिनांक 03.03.2010, दिनांक 12.03.2010, दिनांक 25.08.2010 एवं दिनांक 11 जनवरी, 2011 में दिये गये सुस्पष्ट निर्देशों के बावजूद कर्मचारी संगठनों की माँगों का निराकरण जनपद, मण्डल एवं विभागाध्यक्ष स्तर पर नहीं किया जा रहा है। प्रायः यह देखा जा रहा है कि सेवा संवर्ग की ऐसी समस्यायें जिनका निराकरण जनपद स्तर पर या विभागाध्यक्ष स्तर पर हो सकता था, उनका निस्तारण न होने के कारण इनसे सम्बन्धित समस्यायें उच्च स्तर पर प्रस्तुत हो रही हैं। यह भी देखा जा रहा है कि विभिन्न विभागों में संविदा एवं मानदेय पर तैनात कर्मी अपनी माँगों के सम्बन्ध में लखनऊ आकर धरना प्रदर्शन करते हैं जो किसी भी रूप से उचित नहीं है। इस बात की विशेष आवश्यकता है कि इनकी समस्याओं का स्थानीय स्तर पर निराकरण किया जाये। किसी बिन्दु पर यदि कोई मार्गदर्शन या निर्देश की आवश्यकता हो तो सम्बन्धित अधिकारी सक्षम स्तर से प्राप्त कर यथा सम्भव समस्याओं का स्थानीय स्तर पर निराकरण करना सुनिश्चित करेगें।

2. विभिन्न संवर्गो की समस्याओं के निराकरण के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाये जाने की आवश्यकता है। इनकी समस्याओं को लम्बे समय तक लम्बित रखना स्वस्थ्य कार्मिक नीति के अनुकूल नहीं है। विभिन्न स्तरों पर

संवाद बनाये रखना भी आवश्यक है जिससे कि समस्याओं का प्रारम्भिक स्तर पर निस्तारण कर दिया जाये। जैसा कि पूर्व के शासनादेशों में निर्देश दिये गये थे, उन्हें पुनः दोहराते हुए तथा आंशिक संशोधन करते हुए सम्यक् विचारोपरान्त आपको निम्नवत् निर्देशित करने का मुझे निदेश हुआ है :—

3. (क) जनपद स्तर पर जिलाधिकारी तथा मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त द्वारा ऐसे सेवा सम्बन्धित प्रकरणों जिनका निस्तारण जनपद या मण्डल स्तर पर हो सकता है, निस्तारण किया जायेगा। ऐसे प्रकरणों जिनमें शासन स्तर से हस्तक्षेप की आवश्यकता हो उन प्रकरणों में सम्बन्धित विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव तथा विभागाध्यक्ष को, सेवा संवर्ग की समस्याओं से अवगत कराते हुए समाधान के विकल्प भी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी इंगित करेगें, जिससे कि सेवा संवर्ग/कर्मचारियों की समस्याओं का समुचित निराकरण हो सके। ऐसा प्रयास करने से सम्बन्धित मण्डलायुक्तों/जिलाधिकारियों का अपने कार्मिकों पर नियंत्रण भी बढ़ेगा तथा वे उनकी समस्याओं के प्रति संवेदनशील भी बने रहेगें।

(ख) प्रदेश स्तर के सेवा संगठनों की माँगों/समस्याओं के सम्बन्ध में तथा मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी से प्राप्त सुझावों के आधार पर सेवा संवर्ग की समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में विभागीय प्रमुख सचिव एवं सचिवगण द्वारा प्रत्येक माह की 05 तारीख तक सम्बन्धित सेवा संगठनों के अधिकृत प्रतिनिधियों के साथ बैठकें आहूत कर, माँगों का निराकरण कराया जाय। साथ ही लिये गये निर्णय से सेवा संगठनों के प्रतिनिधियों के अलावा यथा सम्भव मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी को भी अवगत कराया जाये।

(ग) जिन माँगों/समस्याओं का निराकरण विभाग स्तर पर सम्भव न हो, को प्रत्येक माह की 10 तारीख तक कार्मिक विभाग को समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में विभिन्न विकल्पों को सुझाते हुए सुस्पष्ट प्रस्ताव सहित सन्दर्भित कर दिया जाए। जिन प्रकरणों में वित्तीय उपाशय निहित हो, उनके सम्बन्ध में सुस्पष्ट प्रस्ताव वित्त विभाग को भी प्रेषित किया जाये। कार्मिक विभाग द्वारा पर्याप्त परीक्षणोपरान्त सुविचारित प्रस्ताव निर्णय हेतु समुचित स्तर पर प्रस्तुत किया जायेगा।

4. संक्षेप में मैं यह कहना चाहूँगा कि सेवा संवर्गो की समस्याओं के सम्बन्ध में संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए उनके निराकरण के साम्बन्ध में प्रत्येक स्तर पर प्रयास किये जायें। यह प्रयास भी किये जायें कि ऐसी समस्यायें जो जिले स्तर पर निस्तारित हो सकती हैं, उनका निराकरण जिले स्तर पर, जिन समस्याओं का निराकरण मण्डल स्तर पर हो सकता है, उनका निराकरण मण्डल स्तर पर तथा जिन समस्याओं का निराकरण विभागाध्यक्ष स्तर पर हो सकता है, उनका निराकरण विभागाध्यक्ष स्तर पर किया जाये। ऐसी समस्यायें जिनका विभागाध्यक्ष के स्तर पर निराकरण न हो सके, का निराकरण सम्बन्धित प्रमुख सचिव/सचिव के स्तर पर किया जाये। ऐसे प्रकरण/समस्यायें जिनका प्रशासनिक विभाग के स्तर पर भी निस्तारण न हो पा रहा हो, केवल वही प्रकरण कार्मिक विभाग को सन्दर्भित किये जायें।

5. हम सभी का यह प्रयास हो कि सेवा संवर्गो की समस्याओं का निराकरण त्वरित गति से होता रहे जिससे कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं एवं कार्यक्रमों में सरकारी कर्मियों का पूरा योगदान लिया जाये तथा हमारी नीति ऐसी हो कि इनका मनोबल ऊँचा रहे।

भवदीय,

(जावेद उस्मानी)
मुख्य सचिव।

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0–13 सा0 नियुक्ति–25–5–2012–(449)–2002 प्रतियां (ऑफसेट)।